114

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2019

क्रमांक एफ-21-02/2018/42(2) राज्य शासन एतद द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2019 को लिये गये निर्णयानुसार तकनीकी उत्कृष्टता केन्द्र नीति 2018 में संलग्न **परिशिष्ट-एक** अनुसार तालिका के बिन्दु क्रमांक 01 से 06 तक संशोधन किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के.जैन)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तक.शिक्षा कौशल विकास एवं रोज. विभाग

पृ. क्रमांक एफ-21-02/2018/42(2) भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव, कार्यालय।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, प्रध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
6. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तक. शिक्षा कौशल विकास एवं रोज.विभाग।
7. स्टॉफ ऑफिसर,प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, तक. शिक्षा कौशल विकास एवं रोज.विभाग।

8. संचालक, कौशल विकास संचालनालय, जबलपुर।
9. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
11. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तक.शिक्षा कौशल विकास एवं रोज. विभाग

तकनीकी उत्कृष्टता केन्द्र नीति 2018 में संशोधन निम्न तालिका में वर्णित है:-

क्र	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	**4. राज्य स्तरीय सशक्त समिति (State Level Empowered Committee-SLEC)** युवा सशक्तिकरण मिशन हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा गठित साधिकार समिति को इस योजना हेतु SLEC समझा जावेगा। यह समिति पात्र परियोजनाओं के परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करेगी। परियोजना की स्वीकृति के समय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना में कौशल विकास में बाजार की मांग के स्तर की तकनीकियों का प्रस्ताव दिया गया है, एवं राष्ट्रीय मिशन "मेक इन इंडिया" के तहत् औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की स्वीकृत वृहद परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र/सेक्टर जिनकी पहचान कर ध्यान केंद्रित किया गया है में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप राज्य में कुशल जनशक्ति तथा निवेश प्रतिबध्दता को ध्यान में रखा गया है।	**4. राज्य स्तरीय सशक्त समिति (State Level Empowered Committee-SLEC)** युवा सशक्तिकरण मिशन हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा गठित साधिकार समिति को इस योजना हेतु SLEC समझा जावेगा। यह समिति पात्र परियोजनाओं के परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करेगी। परियोजना की स्वीकृति के समय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना में कौशल विकास में बाजार की मांग के स्तर की तकनीकियों का प्रस्ताव दिया गया है, एवं राष्ट्रीय मिशन "मेक इन इंडिया" के तहत् औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की स्वीकृत वृहद परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र/सेक्टर जिनकी पहचान कर ध्यान केंद्रित किया गया है में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप राज्य में कुशल जनशक्ति तथा निवेश प्रतिबध्दता को ध्यान में रखा गया है। 4.1 रोजगार की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कुछ विशिष्ट सेक्टरों में भी, राज्य स्तरीय सशक्त समिति की, अनुमति से केन्द्र स्थापित किए जा सकते है। 4.2 तकनीकी उत्कृष्टता केन्द्र नीति में उल्लेखित प्रावधानो का स्पष्टिकरण/ संशोधन/ बदलाव का अधिकार राज्य स्तरीय सशक्त समिति के पास होगा, परन्तु जिनमें अतिरिक्त व्यय संभावित है उनमें वित्त विभाग का अभिमत आवश्यक होगा।

क्र	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2	**6. आवर्ती व्यय (Recurring Expenditure)** परियोजना स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 2 वर्षो की अवधि में स्वीकृत संस्थाओं/एजेंसी को उत्कृष्टता केंद्र (CoE) को operationalize किया जाना तथा स्थापित होने की दिनांक से 3 वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित परियोजना लागत का प्रथम तीन वर्षो में निम्नलिखित शीर्ष/मद में किए गए व्यय को आवर्ती व्यय के रूप में परिभाषित किया जावेगा। यह व्यय संस्था द्वारा तीन वर्ष की चयन अवधि के लिये होगा जिसमें निम्नानुसार व्यय सम्मिलित किया जावेगा:- 6.1 उत्कृष्टता केंद्र (CoE) हेतु नियुक्त कर्मचारियों का वेतन। 6.2 प्रशासनिक व्यय जैसे कार्यालय और मशीनरी वस्तु व्यय, संचार व्यय, विद्युत व्यय, आकस्मिकता व्यय, परियोजना से संबंधित शैक्षणिक कर्मचारीयों द्वारा भारत में की गई यात्रा व्यय।	**6.आवर्ती व्यय (Recurring Expenditure)** परियोजना स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 2 वर्षो की अवधि में स्वीकृत संस्थाओं/एजेंसी को उत्कृष्टता केंद्र (CoE) को operationalize किया जाना तथा स्थापित होने की दिनांक से न्यूनतम 3 वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित परियोजना लागत का प्रथम तीन वर्षो में निम्नलिखित शीर्ष/मद में किए गए व्यय को आवर्ती व्यय के रूप में परिभाषित किया जावेगा। यह व्यय संस्था द्वारा तीन वर्ष की चयन अवधि के लिये होगा जिसमें निम्नानुसार व्यय सम्मिलित किया जावेगा:- 6.1 उत्कृष्टता केंद्र (CoE) हेतु नियुक्त कर्मचारियों का वेतन। 6.2 प्रशासनिक व्यय जैसे कार्यालय और मशीनरी वस्तु व्यय, संचार व्यय, विद्युत व्यय, आकस्मिकता व्यय, परियोजना से संबंधित शैक्षणिक कर्मचारीयों द्वारा भारत में की गई यात्रा व्यय।
3	**11. सहयोग का परिमाण (Quantum of Assistance)** न्यूनतम 90 प्रतिशत पूंजी निवेश आवेदक संस्था द्वारा तथा शेष परंतु अधिकतम 10 प्रतिशत वित्तीय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। प्रस्तावित एजेंसी से यह आशा की जाती है कि वे परियोजना लागत में स्वयं के संसाधनों का निवेश करें। प्रति उत्कृष्टता केंन्द्र (CoE) हेतु स्वीकृत अवधि मे परियोजना लागत की 10 प्रतिशत शासकीय सहायता राशि भी निम्नलिखित सीमाओं के अधीन उपलब्ध	**11. सहयोग का परिमाण (Quantum of Assistance)** न्यूनतम 85 प्रतिशत पूंजी निवेश आवेदक संस्था द्वारा तथा शेष परंतु अधिकतम 15 प्रतिशत वित्तीय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। प्रस्तावित एजेंसी से यह आशा की जाती है कि वे परियोजना लागत में स्वयं के संसाधनों का निवेश करें। प्रति उत्कृष्टता केंन्द्र (CoE) हेतु स्वीकृत अवधि मे परियोजना लागत की 15 प्रतिशत शासकीय सहायता राशि भी निम्नलिखित

क्र	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
		पश्चात् राज्य शासन दे सकता है। मूलभूत आवश्यकताओं का व्यय राज्य के 15 प्रतिशत वित्तीय भार के अन्तर्गत ही वहन् किया जाऐगा।
4	**12 संचालक मंडल (Board of Governance)** 12.1 उत्कृष्टता केन्द्र (CoE) में एक संचालक मंडल होगा जो, उत्कृष्टता केन्द्र के कार्य-निष्पादन और विकास में सहयोग एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करेगा। परियोजना की संरचना में यह संचालक मंडल एक अनिवार्य भाग होगा। संचालक मंडल में आवेदक संस्थान/एजेन्सी के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग या सेक्टर के प्रतिनिधि, प्रख्यात शिक्षाविद्, शासकीय कॉलेज का प्राचार्य और मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामित दो प्रतिनिधि शामिल होंगे। संचालक मंडल का अध्यक्ष एक ऐसी शख्सियत होगी जिसकी प्रमाणित उपलब्धियॉ होगी। संचालक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसी उद्ययोगपति/ शिक्षाविद् का चयन राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एसएलईसी) द्वारा किया जावेगा। संचालक मंडल के कार्यकाल की अवधि स्वीकृत परियोजना की सीमा तक रहेगी।	**12 संचालक मंडल (Board of Governance)** 12.1 उत्कृष्टता केन्द्र (CoE) में एक संचालक मंडल होगा जो, उत्कृष्टता केन्द्र के कार्य-निष्पादन और विकास में सहयोग एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करेगा। परियोजना की संरचना में यह संचालक मंडल एक अनिवार्य भाग होगा। संचालक मंडल में आवेदक संस्थान/एजेन्सी के चार प्रतिनिधि यथा तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग या सेक्टर के प्रतिनिधि, इत्यादि और मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामित दो प्रतिनिधि शामिल होंगे। संचालक मंडल का अध्यक्ष एक ऐसी शख्सियत होगी जिसकी प्रमाणित उपलब्धियॉ होगी। संचालक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसी उद्ययोगपति/ शिक्षाविद् का चयन संचालक मंडल, राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एसएलईसी) के अनुमोदन उपरान्त, कर सकता है। संचालक मंडल के कार्यकाल की अवधि स्वीकृत परियोजना की सीमा तक रहेगी।
5	13.6 उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदक संस्थान पूंजीगत व्यय की राशि से अधिकतम 30 प्रतिशत राशि साफ्टवेयर में किया जा सकता हैं। शेष 70 प्रतिशत या अधिक की राशि हार्डवेयर में निवेश करना आवश्यक होगा, जिसमें मुख्यत: मशीन, भवन, उपकरण आदि सम्मिलित होंगे।	13.6 उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने हेतु कुल परियोजना लागत का अधिकतम 70 प्रतिशत राशि साफ्टवेयर में खर्च किया जा सकता हैं। शेष 30 प्रतिशत या अधिक की राशि हार्डवेयर में निवेश करना आवश्यक होगा, जिसमें मुख्यत: मशीन, भवन, उपकरण, आदि सम्मिलित होंगे। विभाग इस नीति के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय के पूर्व सॉफटवेयर की लागत का आकंलन सक्षम

क्र	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
		पश्चात् राज्य शासन दे सकता है। मूलभूत आवश्यकताओं का व्यय राज्य के 15 प्रतिशत वित्तीय भार के अन्तर्गत ही वहन् किया जाऐगा।
4	**12 संचालक मंडल (Board of Governance)** 12.1 उत्कृष्टता केन्द्र (CoE) में एक संचालक मंडल होगा जो, उत्कृष्टता केन्द्र के कार्य-निष्पादन और विकास में सहयोग एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करेगा। परियोजना की संरचना में यह संचालक मंडल एक अनिवार्य भाग होगा। संचालक मंडल में आवेदक संस्थान/एजेन्सी के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग या सेक्टर के प्रतिनिधि, प्रख्यात शिक्षाविद्, शासकीय कॉलेज का प्राचार्य और मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामित दो प्रतिनिधि शामिल होंगे। संचालक मंडल का अध्यक्ष एक ऐसी शख्सियत होगी जिसकी प्रमाणित उपलब्धियाँ होगी। संचालक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसी उद्ययोगपति/ शिक्षाविद् का चयन राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एसएलईसी) द्वारा किया जावेगा। संचालक मंडल के कार्यकाल की अवधि स्वीकृत परियोजना की सीमा तक रहेगी।	**12 संचालक मंडल (Board of Governance)** 12.1 उत्कृष्टता केन्द्र (CoE) में एक संचालक मंडल होगा जो, उत्कृष्टता केन्द्र के कार्य-निष्पादन और विकास में सहयोग एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करेगा। परियोजना की संरचना में यह संचालक मंडल एक अनिवार्य भाग होगा। संचालक मंडल में आवेदक संस्थान/एजेन्सी के चार प्रतिनिधि यथा तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग या सेक्टर के प्रतिनिधि, इत्यादि और मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामित दो प्रतिनिधि शामिल होंगे। संचालक मंडल का अध्यक्ष एक ऐसी शख्सियत होगी जिसकी प्रमाणित उपलब्धियाँ होगी। संचालक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसी उद्ययोगपति/ शिक्षाविद् का चयन संचालक मंडल, राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एसएलईसी) के अनुमोदन उपरान्त, कर सकता है। संचालक मंडल के कार्यकाल की अवधि स्वीकृत परियोजना की सीमा तक रहेगी।
5	13.6 उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदक संस्थान पूंजीगत व्यय की राशि से अधिकतम 30 प्रतिशत राशि साफ्टवेयर में किया जा सकता हैं। शेष 70 प्रतिशत या अधिक की राशि हार्डवेयर में निवेश करना आवश्यक होगा, जिसमें मुख्यत: मशीन, भवन, उपकरण आदि सम्मिलित होंगे।	13.6 उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने हेतु कुल परियोजना लागत का अधिकतम 70 प्रतिशत राशि साफ्टवेयर में खर्च किया जा सकता हैं। शेष 30 प्रतिशत या अधिक की राशि हार्डवेयर में निवेश करना आवश्यक होगा, जिसमें मुख्यत: मशीन, भवन, उपकरण, आदि सम्मिलित होंगे। विभाग इस नीति के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय के पूर्व सॉफटवेयर की लागत का आकंलन सक्षम

क्र	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
		संस्थान/ विशेषज्ञ से करायेगा।
6	14.5 स्वीकृत परियोजना पूर्ण होने के उपरांत संस्थायें:- अ) उत्कृष्टता केंद्र (CoE) को संचालक मण्डल द्वारा तीन से पॉच वर्ष की अवधि जैसा कि SLEC द्वारा निर्धारित किया गया हो, तक संचालन के बाद किसी विश्व विद्यालय या शासकीय इंजीनियरिंग/ पोलीटेकनिक/ आईटीआई अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य/ शासकीय संस्थान को समस्तर आस्तियों सहित हस्तातरिंत किया जावेगा।	14.5 स्वीकृत परियोजना पूर्ण होने के उपरांत संस्थायें:- अ) उत्कृष्टता केंद्र (CoE) को संचालक मण्डल द्वारा न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक संचालन के बाद किसी विश्व विद्यालय या शासकीय इंजीनियरिंग/पोलीटेकनिक/ आईटीआई अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य/शासकीय संस्थान को समस्तर आस्तियों सहित हस्तातरिंत किया जा सकता है अथवा उत्कृष्टता केन्द्र (CoE) को संचालक मण्डल द्वारा तीन वर्ष की अवधि तक संचालन के बाद दोनों पक्षों की सहमति से उत्कृष्टता केन्द्र को संचालित करने के लिये पुनः न्यूनतम तीन-तीन वर्ष की अवधि के लिये चयनित संस्था को दिया जा सकता है। चयनित संस्था को ही संचालन का पुनः अवसर दिये जाने कि स्थिति में आवर्ती व्यय एवं अन्य व्यय के संबंध में राज्य स्तरीय सशक्त समिति निर्णय लेगी, किन्तु उत्कृष्टता केन्द्र पर पूर्ण स्वामित्व राज्य शासन का ही रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के.जैन)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तक.शिक्षा कौशल विकास एवं रोज. विभाग